कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :– 343 दिनांक :– 23/6/2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

बारॉ

प्रसंग :– एफ 13 ( ) एफसीए / समुवसं / 2023 / 3139 दिनांक 14.06.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :– Construction of Shahbad to Rajpur road

यूजर एजेन्सी का नाम :– Executive Engineer, PWD Shahbad (Raj.)

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :– 4-0 Hac. (Baran)

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :– Baran District and Baran territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :– FP/RJ/ROAD/34657/2018

1	शाहबाद से राजपुर जाने के लिए वर्तमान में मुण्डीयर से रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। शाहबाद में कोई बड़ी मण्डी भी नही है, वैकल्पिक रूट भी मौजूद है फिर प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों है, स्थिति स्पष्ट करें।	शाहबाद से राजपुर मात्र 7 किमी. दूर हैं तथा दूसरा रास्ता शाहबाद से मुण्डीयर होकर जाता है जिसमें 20 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे लोगों को आने–जाने में असुविधा रहती है तथा चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा के लिये भी लोगों को शाहाबाद आना पड़ता हैं जिससे असुविधा होती हैं सीधा मार्ग बनने से म.प्र. से आने वाले एवं 20 से अधिक गाँव की जनता को सीधी सुविधा मिल सकेगी।
2	भाग–1 के बिन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	बारॉ जिले में किशनगंज शाहबाद सहरिया जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं तथा बारॉ जिले में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित नही है परिपत्र की प्रति संलग्न है।
3	भाग–I के बिन्दु में प्रस्तावित रोड किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करे हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है तो तदानुसार संशोधन करावें।	यह प्रस्ताव किसी भी कंजर्वेशन रिजर्व का भाग नही है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ाहबाद से राजपुरा सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गयी है जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है उत्पादित मक में कितना रोड निर्माण में लिया जावें को राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जायें।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।
5	पार्ट–I के साथ संलग्न ाहबाद से राजपुर रोड की टोपो ीट में बिन्दु ए,बी व सी अंकित है जबकि इण्डेक्स में डी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इण्डेक्स में वनभूमि तथा प्रस्तावित रोड के पृथक–पृथक चिन्ह अंकित किए है जबकि प्रस्ताव रोड भी वन भूमि हेतु निर्धारित चिन्ह से अंकित कर दी गई है।	संशोधित कर दिया गया है
6	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।

	पार्ट–ाा के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्ताव में आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार सूची में प्रजाति नाम में स्पेलिंग भी गलतिया हैं , सही करें तथा को ठक में सांइंटिफिक नाम भी लिखें।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
8	प्रस्तावित सड़क निर्माण में ओन वाले पेड़ों की जो संकलित गणना रिपोर्ट अपलोड की गयी है वह अस्प ट है, स्प ट प्रति अपलोड की जानी अपेक्षित है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
9	प्रस्ताव में कुल 585 पेड़ आ रहे है, इन पेड़ो की कटाई की आवश्यकता है या नही स्प ट करें। यदि पेड़ो का कटाना होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा इस आशय की वचनबद्वता लेंवे।	वचनबद्वता संलग्न कर दी गई है।
10	आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनो ओर 6 फिट ऊँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये है। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। आण्डरपास कहाँ–कहाँ बनेंगे स्पष्ट नही है। साथ ही जी.पी.एस. कोर्डिनेटस भी उपलब्ध नही कराये है इन कार्यो का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।	प्रस्तावित सड़के के दोनो ओर 6 फीट ऊँची दिवार बनाने से प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी जो कि फिजिबल नही है। तथा इस प्रस्ताव में 2 जगह अण्डर पास बना दिये जायेंग जिसके कॉर्डिनेटस दर्शा दिये गये है।
11	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नही होती हैं। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू हो उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
12	चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.00 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि 10 खसरा नम्बरों मे होना बताया है जबकि ले–आउट प्लान में दो खसरा नम्बर में होना दर्शाया है। इसके अलावा नक्शे पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 4 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है । यही भूमि जी.टी. ाीट पर 6 जगह बताई है। स्थिति स्पष्ट करें तथा रिकार्ड संशोधित करें।	उक्त प्रस्ताव हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारॉ द्वारा कुल 7 प्रस्ताव हेतु 10 खसरों में से 32.19 हेक्टर भूमि का आवंटन किया गया था। अतः कुल 10 खसरों की भूमि को प्रस्ताव अनुसार बाटाँ गया था। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए खसरा नं. में आवंटन के.एम.एल द्वारा दर्शाया गया है। रिकॉर्ड संशोधित कर दिया गया है। 25 15' 11.95 25 15'13.43 77 08'25.38 77 08'06.80

अधिशाशी अभियन्ता

हरि प्रसाद मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड–शाहबाद

सा.नि.वि.
खण्ड, शाहबाद